न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 772/2018

1. जन्सी पुत्र नानगा
2. भोलूराम पुत्र गंगासहाय
3. रामवतार पुत्र गंगासहाय
4. रमेश पुत्र गंगासहाय
5. बच्ची देवी पत्नि गंगासहाय
6. लादू पुत्र गंगू
7. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री मंगला
8. श्योराम पुत्र स्व. श्री मंगला
9. रामलाल पुत्र स्व. श्री मंगला
10. चौथमल पुत्र स्व. श्री मंगला
11. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री मंगला
12. रूकमणी पत्नि लादूराम
13. गुरगा देवी पत्नि चन्द्र
14. चन्द्र पुत्र पांच्या (दौराने अपील फौत)
    - 14/1 मुरारी पुत्र स्व. श्री चन्द्र
    - 14/2 मनोज पुत्र स्व. श्री चन्द्र
    - 14/3 रतनलाल पुत्र स्व. श्री चन्द्र
    - 14/4 लाली पत्नि स्व. श्री पृथ्वीराज
    - 14/5 प्रियंका पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराज जरिये संरक्षक माता लाली देवी
    - 14/6 मोहित पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज जरिये संरक्षक माता लाली देवी
    - 14/7 मनीष पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराज जरिये संरक्षक माता लाली देवी

      समस्त जाति मीना निवासीः ग्राम खेजडी खुर्द, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
    - 14/8 श्रीमती पाना पत्नि रामकिशोर पुत्री स्व. श्री चन्द्र निवासीः ग्राम झाफदा खुर्द, तहसील लालसोट जिला दौसा।
    - 14/9 कोरन्टी पत्नि रामकिशन पुत्री स्व. श्री चन्द्र निवासीः ग्राम राडौली, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।

.... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. भौरी देवी पत्नि पांच्या
2. महादेवा पुत्र मोती
3. घासी पुत्र भौरिया
4. रामसहाय पुत्र छोटू
5. प्रहलाद पुत्र स्व. श्री ओकार
6. गोकुल पुत्र स्व. श्री ओकार
7. लादू पुत्र स्व. श्री ओकार
8. सुरेश पुत्र स्व. श्री ओकार
9. लाला पुत्र स्व. श्री ओकार

   समस्त जाति मीना, निवासीः ग्राम खेजडी खुर्द, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

......**रेस्पोडेन्ट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 05.06.2018 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी चाकसू जयपुर, वाद पत्र संख्या 231/2016
उनवान भौरी देवी बनाम जन्सी व अन्य अंतर्गत
धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः
श्री रामजीलाल चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री बलराम मीना एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1
श्री रामवतार मौर्य एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय दिनांकः 01/3/2021

:-निर्णय-:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 05.06.2018 वाद पत्र संख्या 231/2016 बउनवानी भौरी देवी बनाम जन्सी व अन्य के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धर्मपुरी, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में खाता संख्या 23 के खसरा नंबर 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 82, 85, 209, 210 एवं 214 कुल किता 12 कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर, खाता संख्या 24 के खसरा नंबर 132, 133, 212, 213, 224 एवं 309 कुल किता 06 कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर स्थित है। ग्राम बाढपरमानन्दपुरा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में खाता संख्या 09 के खसरा नंबर 125 एवं ग्राम खेजडीखुर्द तहसील कोटखावदा जिला जयपुर के खाता संख्या 28 के खसरा नंबर 51, 53, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 207/533, 217/531, 218/532, 219, 220/534, 235 एवं 236 कुल किता 24 कुल रकबा 6.04 हैक्टेयर व खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 55 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर व खाता संख्या 40 के खसरा नंबर 52, 119, 120, 220, 227, 228, 229, 233, 244, 245 एवं 447 कुल किता 11 कुल रकबा 5.09 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 41 के खसरा नंबर 76, 77, 78, 83, 85, 89, 90, 91 एवं 92 कुल किता 09 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर व खाता संख्या 48 के खसरा नंबर 429 रकबा 1.05 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा सभी पक्षकार मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान सरकार में शामिल में ही अदा करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है यानि भूमि शामलाती में ही दर्ज चली आ रही है। पक्षकारान मौके पर बाहमी बंटवारा करके काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी अपनी उपज का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हिस्से की आराजी में उर्वरक खाद डालकर अत्यधिक उपजाउ बना रखा है जिससे वादीगण के हिस्से में प्रतिवादीगण के हिस्से के मुकाबले अधिक पैदावार होने से प्रतिवादीगण वादीगण को हैरान परेशान करने के उद्देश्य से आये दिन वादीगण के हिस्से में दखल करता है तथा कच्चा पक्का निर्माण करने पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

उतारू हो जाता है तथा वादीगण के द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाता है जिससे वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है किवह अपने हक व हिस्से का विधिवत तकासमा करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगण कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ वादी की आराजी पर आये और जबरन वादीगण के कब्जे वाली भूमि पर कब्जा करने लग गये तथा पुख्ता निर्माण को तोडने की धमकी दी। इस कारण वादी को अपने अधिकारों की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी में वादी के अपने हक व हिस्से का कब्जे व मौका स्थिति अनुसार विधिवत तकासमा फरमाया जावे तथा इसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त के हिस्से की भूमि में किसी तरह की दखलअंदाजी न करे, न ही भूमि का बेचान, रहन इत्यादि ही करे। ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 05.06.2018 को निर्णय डिक्री पारित कर आराजीयात का तकासमा कर खाता पृथक–पृथक किये। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील अपीलार्थी एवं वकील रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की कोई पालना किये बिना एवं सहखातेदारो के जवाब लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में केवल दो व्यक्ति रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का ही बंटवारा किया है अन्य सहखातेदारों के संबंध में कोई कुरैजात रिपोर्ट नहीं मंगवाई ना ही रेस्पोडेन्ट को कुरैजात बाबत कोई सूचना ही प्रदान की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के कब्जे संबंधी कोई रिपोर्ट तलब नहीं की एवं ना ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति पर ही गौर किया है। पक्षकार भौरी देवी पत्नि स्व. पांच्या व कानी पुत्री पांच्या व दत्तक पुत्र चन्दर के मध्य राजीनामा हुआ है जिस अनुसार चन्दर का आराजीयात में हक हिस्सा निहित है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गलत है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी झूठे तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी का अपील प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य रेस्पोडेन्ट सं. 1 की जमीन हडपकर चन्द्र पुत्र गंगू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है जिसका आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं है। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज यथा गोदनामा या दत्तकनामा के बिना किसी भी व्यक्ति को गोद पुत्र नहीं माना जा सकता है। चन्द्र पुत्र गंगू का आराजीयात में कोई हिस्सा मौजूद नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये अपील प्रस्तुत की है जो खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4. हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/ रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत हुआ था, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब वाद हेतु पत्रावली में दिनांक नियत की गयी थी | वाद में जवाब वाद प्रस्तुत नही हुआ एवं बगैर जवाब वाद प्रस्तुत हुये बगैर तनकीयात कायम किये हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से सीधे ही कुरैजात रिपोर्ट मंगाई जाकर दिनांक 05/06/2018 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी जबकि नियमित प्रकिया के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में जवाब वाद प्रस्तुत होने के पश्चात तनकीयात कायम किया जाना एवं उसके अनुसार पक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर तदनुसार वाद में सुनवाई की जाकर प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार कुरैजात रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश दिया जाना चाहिये था तत्तपश्चात कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिये थी किन्तु विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त प्रक्रियाओ की पालना नही की जाकर सीधे ही कुरैजात रिपोर्ट तलब की जाकर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गयी | जो वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया की पालना नही होने से उचित प्रक्रिया की परिभाषा में नही आता है |

5 अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/06/2018 निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करते हुये पुनः वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे | उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता सूचित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 30/03/2021 को उपस्थित हो | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्धारित दिनांक से पूर्व निर्णय की प्रति सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

6 निर्णय आज दिनांक 01/3/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर